

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated-19-08-2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 7.950 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Banjagarh-Ruisaan motor road District Chamoli under C.M. Ghoshna falls within jurisdiction of Syanri-Bangali village in Tahsil Ghat

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.950 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रधानीय वनाधिकारी
जडीबन वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Himanshu Khurana
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिला अधिकारी
चमोली
ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
DISTRICT CHAMOLI (UK.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Himanshu Khurana, I.A.S District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) on date 19-08-2021 at time 11.00 HRS. in which application claiming rights in Village Syanri-bangali, of Tehsil Ghat area measuring 7.950 hect for the Construction of Banjbagarh-Ruisaan motor road District Chamoli under Hon'ble C.M. Ghoshna of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ghat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Chamoli

Dated: 19-08-2021

Himanshu Khurana
District Magistrate
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिला अधिकारी
चमोली

प्रधानाधिकारी
चमोली

प्रधानाधिकारी
कटीन्धन वन प्रभाग गोपेस्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, घाट/चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, घाट

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में बांजबगड़-रूईसांण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (6.533 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.417 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 7.950 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील घाट) की दिनांक 15/06/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमन्त कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

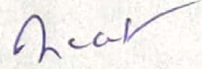
- 1- श्री हेमन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री श्री सुन्दर कुमार उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री सुनील नेगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री अरुण सिंह (3.4) वनाधिकार समिति सदस्य
- 5- श्री महेपाल सिंह वनाधिकार समिति सदस्य
- 6- श्री भरत सिंह वनाधिकार समिति सदस्य

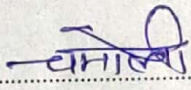
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

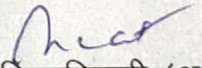
मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 7.450 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 7.450 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- घाट/चमोली
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी,  को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- घाट/चमोली
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- स्यारी-बंगाली

तहसील -घाट

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 6.53 हे0, आरक्षित वनभूमि 1.417 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00 हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल...7.95 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

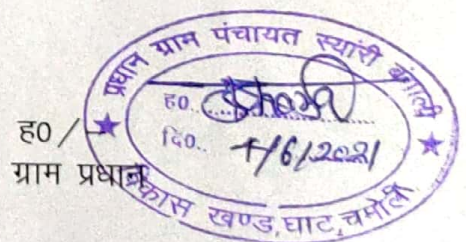
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....स्यारी-बंगाली.. द्वारा दिनांक 04/06/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. स्यारी-बंगाली..... के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमिलोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव.....



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक.....को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत...स्यारी-बंगाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विनेश सिंह	विनेश सिंह
2	भूपत सिंह	भूपत सिंह
3	दीपक देवी	दीपक देवी
4	दिपक सिंह	दिपक सिंह
5	पुष्कर सिंह	अ. Anushi nagri
6	आनंद सिंह	आनंद सिंह
7	कुशल सिंह	कुशल सिंह
8	कृष्णा देवी	कृष्णा देवी
9	गंगा सिंह	गंगा सिंह
10	जसज सिंह	जसज सिंह
11	आरुण सिंह	आरुण सिंह
12	सुरेश सिंह	आरुण सिंह
13	असिपाल सिंह	सुरेश सिंह
14	दिलीप सिंह	आरुण सिंह
15	कृष्ण सिंह	आरुण सिंह
16	मोहन सिंह	मोहन सिंह
17		
18		
19		

